न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 15/2021

उनवान

अमरा पुत्र रामकरण जाति भांबी हाल निवासी ग्राम केरिया खुर्द, मोराझडी, नसीराबाद
––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 30·12·21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल तिलाना तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 5103/1391 रकबा 0.3250 प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 5103/1391 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.25 में से नया मार्ग बनाना चाहता है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक है तथा प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्गाधिकार मौके व राजस्व अभिलेख में विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम तिलाना में स्थित प्रार्थी की खातेदारी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.25 मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1392 में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहा है। जिस हेतु 50 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा कुल 457.5 वर्ग मीटर भूमि उपयोग में आनी है। ग्राम तिलाना की डी0एल0सी0 दर से राशि 12[illegible] चाही गयी भूमि की राशि 6360 बनती है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1679 में [illegible] रास्ता है किन्तु राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.23 कि[illegible] है। खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.25 किस्म बारानी 3 ख[illegible] के रूप में [illegible]यचक खाते में दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर काम में आ रहा है।
वहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। खसरा नम्बर 5103/1391 रकबा 0.3250 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1392 में से रास्ता चाहा गया है जो कि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाया कच्चा रास्ता की दूरी अधिक है। चाहा गया रास्ता लघुतम है। जिस में से आवागमन हेतु 30 फिट रास्ता चाहा है। जिस हेतु 50 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा कुल 457.5 वर्ग मीटर भूमि उपयोग में आनी है। ग्राम तिलाना की डी0एल0सी0 दर से राशि 127210 रूपये प्रति बीघा के अनुसार चाही गयी भूमि की राशि 6360 बनती है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1679 में मौके पर रास्ता है किन्तु राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.23 किस्म बारानी 3 सिवायचक खाते में दर्ज है। खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.25 किस्म बारानी 3 खनन क्षेत्र के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त रास्ता मौके पर काम में आ रहा है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा एक आसामी को अपनी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी खसरा नम्बर 1392 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम तिलाना के खसरा नम्बर 1392 में से 50 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा कुल 457.5 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त मार्ग के एवज में डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 11,640/ अक्षरे ग्यारह हजार छ सौ चालीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को मौका रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:14 IST
Reason: SelfAttested